दिनांक 10-13 सन-201

मुख्य या कार्यालय मध्य इनसीयल जज

वकील सायल ने यह प्रार्थना –पत्र सायलान की ओर से पेश किया प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर जावे। वकील सायलान को बयान पर सुना गया प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया गया प्रथम दृष्टया प्रकरण सायलान के पक्ष में प्रतीत होता है अतः प्रस्तुत दस्तावेज एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए गैरसायल को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि वह रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 10/6 के खसरा न0 946/2 की कुल 6.6390 हैक कुल 6.6390हैक भूमि में सयुक्त तौर से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1.085हैक भूमि की रिकार्ड की यथास्थिति दिनांक 10.02.2018 तक नही करे।

इस सम्बध मे यदि गैरसायल को कोई उज्र व एतराज हो तो इस न्यायालय मे असालतन या वकालतन उपस्थित होकर वजह जाहिर करे अन्यथा क्यो ना यह आदेश ताफैसला दावा कन्फर्म कर दिया जावे । बाद मियाद गुजरने कोई उज्र एवं एतराज नही सुना जावेगा आदेश जारी होकर पत्रावली दिनांक 10.02.2018 को पेश हो । SAzaidi

23/1/18 वकील सायलान एवं सायलान के निवेदन पर पत्रावली पेशी में ली गई वकील सायलान ने निवेदन किया की हमारा मुवक्किल में इजीनियर है गया है इसलिये प्रार्थना पत्र नही चलाया पाहते है सायलान के प्रार्थना पत्र नही चलाने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है पत्रावली फाईल दाखिल दफ्तर हो।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया / SAzaidi

32